रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3798] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 25, 2018/आश्विन 3, 1940
No. 3798] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 25, 2018/ASVINA 3, 1940

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

**(वाणिज्य विभाग)**

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2018

**सं. 34/2015–2020**

**विषयः– आईटीसी (एचएस) निर्यात एवं आयात मदों का वर्गीकरण, 2018 की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 (स्कोमेट मदें) के तहत रसायनों की निर्यात नीति में संशोधन।**

**का.आ. 4975(अ).—**विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 और धारा 14क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना सं. 17/2015–2020, दिनांक 03.07.2018 के साथ पठित, डीजीएफटी की अधिसूचना सं० 47/2015–2020 दिनांक 31.01.2018 में यथा अधिसूचित आईटीसी (एचएस) निर्यात एवं आयात मदों का वर्गीकरण, 2018 की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 में तत्काल प्रभाव से संशोधन करती है।

2. आईटीसी (एचएस) निर्यात एवं आयात मदों का वर्गीकरण 2018 की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 की श्रेणी 1 क के अंतर्गत तालिका के नीचे एक टिप्पणी शामिल की जानी है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

**"टिप्पणीः**

उपर्युक्त के बावजूद श्रेणी 1 क के अंतर्गत आने वाले रसायनों के रासायनिक हथियार निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू) द्वारा प्राधिकृत प्रयोगशालाओं में परीक्षण/विश्लेषण के पश्चात् बचे हुए शेष भाग के निर्यात की अनुमति ओपीसीडब्ल्यू के अधिकारियों द्वारा वापस लेकर ओपीसीडब्ल्यू सचिवालय या किसी प्राधिकृत प्राधिकारी को सौंपकर प्रदान की जाएगी। यह निर्यात इस शर्त के अधीन होगा कि प्रत्येक निर्यात के लिए ओपीसीडब्ल्यू के अधिकारी वास्तविक निर्यात से पहले राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार कन्वेंशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, विदेश मंत्रालय (डीएंडआईएसए) और विदेश व्यापार महानिदेशालय को ब्यौरे की सूचना देंगे।

**इस अधिसूचना का प्रभावः**

**3.** आईटीसी (एचएस) निर्यात एवं आयात मदों का वर्गीकरण, 2018 की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 (स्कोमेट मदें) की श्रेणी 1क के नीचे इस टिप्पणी को शामिल किया गया है जिससे कि ओपीसीडब्ल्यू के अधिकारियों द्वारा श्रेणी 1क के अंतर्गत आने वाले रसायनों का परीक्षण/विश्लेषण के पश्चात् बचे हुए शेष भाग का निर्यात अनुमत किया जा सके।

[फा. सं. 01/77/010/एएम–19/ईसी(एस)]
आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

**(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th September, 2018

**No. 34 /2015-2020**

**Subject: Amendment in Export Policy of Chemicals under Appendix 3 (SCOMET items) to Schedule- 2 of ITC (HS) Classification of Export and Import Items, 2018**

**S.O. 4975(E)**.— In exercise of the powers conferred by Section 5 and Section 14A of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, as amended, read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, the Central Government hereby makes amendments, with immediate effect, in the Appendix 3 to Schedule -2 of ITC (HS) Classifications of Export and Import Items 2018, as notified in DGFT Notification No.47/2015-20 dated 31.01.2018 read with Notification No. 17/2015-20 dated 03.07.2018.

**2.** A Note to be inserted below Table under Category 1 A in Appendix 3 to Schedule 2 of ITC (HS) Classifications of Export and Import Items 2018, will read as under :

"**NOTE** :

Notwithstanding above, export of remnant of chemicals, after testing / analysis in the OPCW designated laboratories, falling under Category 1A, will be allowed by way of being taken back by the officials of Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) to the OPCW Secretariat or any designated authority. Such export shall be subject to the condition that for each export, officials of OPCW shall notify the details, prior to actual export, to the National Authority, Chemical Weapons Convention, Cabinet Secretariat, Ministry of External Affairs (D&ISA) and the Directorate General of Foreign Trade."

**Effect of this Notification:-**

**3.** Note below Category 1A in Appendix 3 (SCOMET items) to Schedule - 2 of ITC (HS) Classification of Export and Import Items, 2018 has been included to allow export of remnant of chemicals falling under Category 1A by the officials of the OPCW after testing / analysis.

[F. No 01/77/010/AM-19/EC(S)]
ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade,
Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.09.26 15:11:44 +05'30'